न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	50/2025	02.06.2025	जमनालाल व गोलमा व अन्य	08.05.2026	1 लगायत 8

1. जमनालाल पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी साचौली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गोलमा पत्नि रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम मीना कोलेता तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
2. गोकुल पुत्र हीरा मीना जाति मीना निवासी ग्राम सांचौली तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर।
3. भजीराम बैरवा पुत्र नामालूम जाति बैरवा निवासी ग्राम सांचौली तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर।
4. अध्यक्ष एडवाईजरी कमेटी उप जिला कलेक्टर बामनवास । – अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. प्रार्थी पक्ष की और सेः– विद्वान अभिभाषक श्री हरिशंकर शर्मा
2. अप्रार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री रामदयाल त्रिवेदी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम सांचौली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 950/1, 407/1 में से बना खसरा नम्बर 1102/407, रकबा 0.50 है0, खं0नं0 1122/950 रकबा 0.93 है0 का गोलमा पत्नि रघुनाथ के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 20.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 20.06.1992 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित , अप्रार्थी सं0 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 4 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
मु0नं0 50/25 उनवान जमनालाल बनाम गोलमा व अन्य

प्रार्थी पक्ष की और से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस अनुरोध किया कि साबिक खसरा नम्बर 950/1 व 407/1 में से बने खसरा नम्बर 1222/950 रकवा 0.93 है0, 1102/407 रकवा रकवा 0.50 है0 भूमि का अप्रार्थी संख्या । को एडवाइजरी कमेटी अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20/06/1992 को भूमि आंवटन किया गया था। लेकिन आंवटन के पश्चात् अलोटी द्वारा आंवटन शर्तो की कोई पालना नही की गयी। तथा आज तक भी आंवटित भूमि पर अलोटी काकब्जा नही रहा है बिना कंब्जे के आंवटन अप्रार्थी संख्या 1 खारिज होने योग्य है। साबिक खसरा नम्बर से बने हाल नम्बर 1222/950 पर प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा 1102/407 पर अप्रार्थी, संख्या 2 व 3. का आधी आधी भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है वर्णित भूमि पर अलोटी का कभी कोई कब्जा नही रहा है। इससे साफ जाहिर है कि आंवटी द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नही की है इसलिये आंवटन अप्रार्थी संख्या 1 खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या। सरकारी कर्मचारी पटवारी था, जिस समय आंवटने हुआ उस समय कर्मचारी पटवारी के पद पर तैनात था जिसमें सरकारी नौकरी का फायदा उठाकर तथ्यो को छिपाकर अपनी पत्नि के नाम आंवष्टन करवाया है जबकि, अप्रार्थी संख्या । जिस जगह भूमि का आंवटन करवाया है उस जगह की वो नागरिक नही है ना ही इसके कोई दस्तावेज आदि हैं बिना दस्तावेज व बिना निवास स्थान के होते हुये 'भी गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पति ने मिली भगत करके गलत आंवटन करवाया है। उक्त पद का दुरूपयोग कर अप्रार्थी संख्या । के पति रघुनाथ हल्का पटवारी ने भिन्न भिन्न गांव में आंवटन करवाया है जबकि आंवटन नियम शर्तो के अनुसार भूमि हीन व्यक्तियो को आंवटन किया जाना था लेकिन हल्का पटवारी ने पैत्रिक भूमि ग्राम मीना कॉलेंता मे जमीन होने के पश्चात् भी नानेटा खेडा, व सांचौली में अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत आंवटन करवाया है। जबकि आंवटनशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या का आज तक कोई कब्जा नही रहा है। कब्जे के अभाव में आंवटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आंवटन के संदर्भ में तहसीलदार बामनवास द्वारा आंवटन खारिज करवाने की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में की गयी थी जो दिनांक 20/06/1992 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटित आंवटन को निरस्त कर दिया गया था। जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की हुई है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1222/950 रकवा 0.93 है० स्थित ग्राम सांचौली में प्रार्थी ने काफी लागलं व परिश्रम से उपजाऊ व समतल की है। प्रार्थी उक्त भूमि पर करीब 50 वर्षो से वर्णित आंवटन से पूर्व ओपनली पीसफुल विदाउट डिस्टरवेन्स अप्रार्थी संख्या । की जानकारी में काश्त करता चला आ रहा है एवं भूमि से लाभान्वित होता चला आ रहा है। उक्त भूमि से अन्य, किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता नही है।प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या के द्वारा आंवटित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17/05/2025 को हल्का पटवारी व गिरदावर वर्णित भूमि की नाप तोल कर रहे थे तब प्रार्थी ने पूछा कि क्या कर रहे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हो यह भूमि तो मेरी है, तब हल्का पटवारी ने कहा कि हम तो रघुनाथ पटवारी व गोलमा के कहने से नापतोल करने आये तुम्हे जो भी कार्यवाही करनी है आप तहसील में जाकर करो। उक्त जमीन के सम्बन्ध में जानकारी होने के तुरन्त प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आंवटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 20.06.1992 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 सरकारी नौकरी में नहीं थी। अप्रार्थी सं0 1 के पति सरकारी नौकरी में था ,लेकिन आवंटन के समय अप्रार्थी सं0 1 के पति रघुनाथ की नियुक्त आवंटित हल्के में नहीं थी। उक्त विवादित आंवटन के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली द्वारा मु0नं0 229/92 उनवान पदमचन्द जैन बनाम श्रीमति गोलमा में दिनांक 15.04.1993 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास बनाम गोलमा मु0नं0 39/98 में दिनांक 15.01.1999 को निर्णय पारित किया जा चुका थे तथा उक्त निर्णय दिनांक 15.01.1999 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा उनवान गोलमा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास मु0नु0 41/99 में निर्णय दिनांक 07.09.2000 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.01.1999 निरस्त किया जाकर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.04.1993 यथावत रखा गया है। उक्त वाद आराजीयात पर अप्रार्थी सं0 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 प्रभावी नहीं होता है, साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अथवा अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण सं0 39/98 उनवान राजस्थान सरकार बनाम गोलमा जोजे रघुनाथ मीना में पारित निर्णय दिनांक 15.1.1999 का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 15.01.1999 द्वारा विवादित आवंटन आदेश दिनांक 20.06.1992 निरस्त किया गया था तथा अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के अपील सं0 41/99 उनवान गोलमा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2000 का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 07.09.2000 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय (न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

15.01.1999 निरस्त किया जाकर पूर्व में पारित निर्णय 15.04.1993 यथावत रखा गया है। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है:–

राजस्थान ले. रे. एक्ट की धारा 101 के अधीन अनाधिवासित कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन के लिए–

2341
20/6/92

* आवेदन–पत्र *

सेवार्में,

मैं गोलमा पत्नि/जोजे रघुनाथ निवासी मीणाखेड़ा [illegible] तहसील [illegible] जिला– सवाई माधोपुर का हूँ।

निवदन है कि–

1 मैं राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवण्टन नियम 1970 नियम ——— के अर्थ में भूमिहीन व्यक्ति हूँ।

2— कि मेरे उपरोक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खेती करने के लिए भूमि नहीं है।

या

कि इस समय मेरे पास निम्नलिखित भूमि है।

गांव का नाम जिसमें स्थित है	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	सिंचाई साधन

3— कि मुझे खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है।

4— [illegible] प्रार्थना करता हूँ कि खेती के वास्ते निम्न लिखित भूमि आवण्टित करने की कृपा करें।

भूमि का [illegible]	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	सिंचाई साधन	लगान दर
[illegible]	350	0.93	[illegible]	[illegible]	6-70
	402	1-0	"		6.23

मैं इसके द्वारा राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट नं० 1956) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (भू-राजस्व) एक्ट 1958 (राजस्थान एक्ट नं० 1 सन 1956) और राजस्थान राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने के लिए आबद्ध होना स्वीकार करता हूँ।

[illegible]

हस्ताक्षर प्रार्थी

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में लिखे तथ्य जहां तक मुझे ज्ञात है सत्य हैं और यह है कि मैंने सत्य कथन किया है। तथा किसी तथ्य को नहीं छुपाया है मेरे परिवार में ——— सदस्य हैं जो पूर्णतया मुझ पर निर्भर हैं।

साक्षी (1) [illegible] पता

(2) [illegible] पता

नि. गोलमा

रिपोर्ट पटवारी साथ में पेश है।

हस्ताक्षर प्रार्थी

उक्त आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 में इस समय मेरे पास निम्नलिखित भूमि है में आवंटी द्वारा **Nil** अंकित किया हुआ है।

अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का में पटवारी हल्का द्वारा बिन्दु सं0 3 आवेदक के पास संयुक्त परिवार में कितनी बीघा जमीन है, जिसमें प्रार्थी के हिस्से में कितनी बीघा जमीन आती है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
मु0नं0 50/25 उनवान जमनालाल बनाम गोलमा व अन्य

इस कारण प्रार्थी भूमिहीन है या नहीं अंकित नहीं है। बिन्दु सं0 4 प्रार्थी के नाम कितनी भूमि है तथा पिता/पति के नाम कितनी भूमि है, प्रार्थी के कितने भाई है। कुल भूमि में प्रार्थी का हिस्सा कितना है। अंकित नहीं किया हुआ है। बिन्दु संख्या में क्या प्रार्थी अपने पिता से अलग रहता है, अंकित नहीं किया हुआ है।बिन्दु सं0 6 क्या आवेदक के परिवार में 6 सदस्य है जो पूर्णयता प्रार्थर्म पर निर्मर है सदस्यों का आवेदक का क्या संबध है। अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

रिपोर्ट पटवारी

1 आवेदक श्री गोलमा पुत्र/पत्नी रघुनाथ जाति मीना
उम्र .... ग्राम .... का रहने वाला है।
2 आवेदक का मुख्य धन्धा .... है इसकी वार्षिक आमदनी .... है।
3 आवेदक के पास संयुक्त परिवार में .... बीघा जमीन है जो श्री ....
के नाम है उनमें प्रार्थी के हिस्से में ... बीघा जमीन आती है इस कारण प्रार्थी भूमिहीन है/नहीं है।
4 प्रार्थी के नाम .... भूमि है तथा पिता/पति के नाम ....
भूमि है प्रार्थी के .... भाई .... नाबालिग हैं और कुल भूमि में प्रार्थी का
हिस्सा भूमि पर आता है।
5 क्या प्रार्थी अपने पिता से अलग रहता है।
6 क्या आवेदक के परिवार में ....6.... सदस्य हैं जो पूर्णतया प्रार्थी पर निर्भर है सदस्यों
आवेदक का क्या सम्बन्ध है।
7 आवेदक जिस भूमि को चाहता है उसकी किस्म लगान दर क्या है .... यदि है तो किसी ....
8 क्या आवेदक का प्रश्न में मांगी गई जमीन पर अतिक्रमण नहीं है, है तो कितनी है पर उसका नक्शा
मय आस पास की जमीन के बनाया जावे यह भी बताया जावे की कब्जा कब से है।
9 प्रार्थी का अन्य विवादग्रस्त जमीन पर अतिक्रमण नहीं है, है तो कितनी पर है और कबसे है।
10 अतिक्रमण के सम्बन्ध में पिछले आदेशों का हवाला जैसे बेदखली का आदेश जिसमें पेनल्टी आदि
का आदेश
11 आवेदक की तरफ बकाया पेनल्टी व लगान राशि कितनी है ....X.... नहीं है। यदि है तो
आवेदक ने राशि जमा न करने बाबत सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त किया है।
12 यदि आवेदक अतिक्रमी है तो जिस भूमि आवेदक चाहता है पर उस पर अन्य का अतिक्रमण तो नहीं है।
13 क्या इस आवंटन योग्य जमीन पर पेड़ या इमारत है यदि है तो उसका ब्यौरा और उसकी कीमत
का अनुमान लिखें।
14 आपकी राय में किस जमीन या किस नम्बर का आवन्टन किया जाना उचित है।

दिनांक .... हस्ताक्षर पटवारी

अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न कब्जा रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दिये गये कब्जे का सत्यापन भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है। कब्जा रिपोर्ट निम्नानुसार है।–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
मु0नं0 50/25 उनवान जमनालाल बनाम गोलमा व अन्य

कब्जा रिपोर्ट

(4)

भू आवंटन अधिकारी महोदय [illegible] के आदेश सं 18/1/07 दिनांक 27-6-92

को पालना मे आवंटि श्री [illegible] पुत्र/पत्नि [illegible]

जाति मीणा निवासी मीना कोलेता, तहसील [illegible] जिला [illegible]

को दिनांक [illegible] को किये गये आवंटन ख० नं० 507/1 950/1 रकबा 12.53 1.32 हैक्टे० हैक्टे०

मे से रकबा 0.50 0.97 जिसे संलग्न ट्रेस मे भिन्न रंग से बताया गया है, का कब्जा आज दिनांक [illegible] 92 को दो गवाहो के समक्ष संभलाया गया।

हस्ताक्षर गवाह 1 [illegible] मीणा

हस्ताक्षर गवाह 2 [illegible]

हस्ताक्षर आवंटी [illegible]

हस्ताक्षर पटवारी [illegible]

पटवारी हल्का .... की रिपोर्ट का सत्यापन किया गया।

हस्ता0 भू अभि0 निरीक्षक वृत

अप्रार्थीया ग्राम सांचोली की निवासी नहीं होकर ग्राम मीना कोलेता की निवासी है। आवंटन नियमों में सर्वप्रथम प्राथमिकता उस गांव के निवासी को दिये जाने का प्रावधान है, जिस गांव में भूमि स्थित हो और उस गांव का सद्‌भावी भूमिहीन काश्तकार नहीं होने की स्थिति में ही अन्य गांव के व्यक्ति को आवंटन किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थीया के ग्राम सांचोली में भूमि होने अथवा नहीं होने के संबंध में तो पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी परन्तु ग्राम मीना कोलेता जिसकी अप्रार्थीया निवासी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट उक्त गांव में भूमि होने अथवा नहीं होने के संबंध में आवंटन से पूर्व नहीं ली गयी।

प्रार्थी पक्ष द्वारा ग्राम नानेटाखेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की प्रस्तुत की। जिसके अनुसार अप्रार्थी गोलमा की ग्राम नानेटाखेडा में स्थित भूमि खं0नं0 95 रकबा 0.58 है0 ,खं0नं0 95/573 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है तथा खं0नं0 280 रकबा 0.52 है0, खं0नं0 507 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 अप्रार्थी गोलमा पत्नि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

रघुनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीना खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। ग्राम मीनाकोलेता जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के अनुसार खं0नं0 1114 रकबा 0.14 है0, खं0नं0 1180 रकबा 0.62 है0, खं0नं0 127 रकबा 0.08 है0, खं0नं0 128 रकबा 0.06 है0, खं0नं0 357 रकबा 0.22 है0, खं0नं0 728 रकबा 0.25 है0, खं0नं0 90 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.54 है0 अप्रार्थी सं0 1 के पति रघुनाथ पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है। अर्थात तथ्य छिपाकर ,इरादतन, कपटपूर्ण ढंग से आवंटी द्वारा आवेदन कर आवंटन नियमों का दुरूपयोग कर राज्य सरकार की सम्पत्ति की क्षति कारित की गई है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को ग्राम सांचौली में स्थित भूमि खं0नं0 950/1 रकबा 0.50 है0, खं0नं0 407/1 रकबा 0.93 है0 का हुआ आवंटन दिनांक 20.06.1992 निरस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज/अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति के साथ पृथक से तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी कर पालना रिपोर्ट दिनांक 30.05.2026 तक भिजवाने हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी